रजिस्ट्री सं. डी--(डी एन)--128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14, 1990 (आषाढ़ 23, 1912)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14, 1990 (ASADHA 23, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	501
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	815
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	*
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	1135
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	703
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	735
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2105
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	95
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. 501

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 815

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . *

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1135

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . .

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories), *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 703

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . 735

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2105

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . 95

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1990

संकल्प

सं० 41/5/89-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू (सी)—राष्ट्रपति ने दिनांक 31-3-89 के संकल्प संख्या-41/5/89-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू के अधीन गठित, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के लिये, स्वैच्छिक अभिकरणों की स्थायी समिति (स्कोवा) के गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित सेवा की अवधि 31-3-91 तक बढ़ा दी है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

एस० के० पारथासारथी)
अपर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1990

संकल्प

सं० एफ० 6/4/90-ईपीजेड—भारत सरकार ने फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय किया है।

2. गठन

सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

1. श्री अमल दत्ता संसद सदस्य	अध्यक्ष
2. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य संसद सदस्य	सदस्य
3. सचिव (उद्योग) पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य
4. श्री पी०डी० चिटलंगिया बंगाल वाणिज्य एवं उद्योग मंडल	सदस्य
5. अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट	सदस्य
6. फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र उद्योग संघ का प्रतिनिधि	सदस्य
7. संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
8. विकास आयुक्त, फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र	सदस्य सचिव

3. कार्य

सलाहकार समिति का कार्य फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के संबंध में सरकार को सलाह देना होगा।

4. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 1991 तक होगा, बशर्ते कि,

(1) इस समिति में नामित संसद सदस्य की संसद सदस्यता समाप्त होने ही उसकी इस समिति से सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(2) कोई भी मध्यावधि रिक्ति कार्यालय में सम्बन्धित सदस्य के उत्तराधिकारी द्वारा भरी जाएगी, जो शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

5. सामान्य

समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है तथा अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा आवश्यक समझे जाने वाली उप-समितियों का गठन कर सकती है।

6. यात्रा तथा अन्य भत्ते

विकास आयुक्त, फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा पश्चिमी बंगाल सरकार को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सं० एफ० 6/4/90-ई० पी० जेड०—भारत सरकार ने नवगठित विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से एक सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय किया है

2. गठन

सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. श्री के० राममोहन राव, संसद सदस्य	अध्यक्ष
2. श्रीमती उमा गजपति राजू, संसद सदस्य	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
4. सचिव उद्योग, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
5. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6. आन्ध्र प्रदेश वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7. विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम् निर्यात संसाधन क्षेत्र	सदस्य सचिव

3. कार्य

सलाहकार समिति का कार्य विशाखापत्तनम् निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास के संबंध में सरकार को सलाह देना होगा।

4. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 1991 तक होगा, बशर्ते कि,

(1) इस समिति में नामित संसद सदस्य की संसद सदस्यता समाप्त होते ही उसकी इस समिति से सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(2) कोई भी मध्यावधि रिक्ति कार्यकाल में संबंधित सदस्य के उत्तराधिकारी द्वारा भरी जाएगी, जो शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

5. सामान्य

समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है तथा अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा आवश्यक समझे जाने वाली उप-समितियों का गठन कर सकती है।

6. यात्रा तथा अन्य भत्ते

विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम् निर्यात संसाधन क्षेत्र द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा पश्चिमी बंगाल सरकार को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रवीन्द्र सिंह, उपसचिव

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1990

आदेश

विषय: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बम्बई अपतटीय विस्तार-4 के 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति

सं० ओ०-12012/90/89-ओ० एन० जी० डी० 1—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन, देहरादून को जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है। बम्बई अपतटीय विस्तार-4 के लिए 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस को 11-12-1989 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

2 लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(1) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 192 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाते हुए एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी

अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/- रुपये

(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40/- रुपये

(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/- रुपये

(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रुपये

(5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/- रुपये

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप-नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमिट्रिक, सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण शुरू करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूची "क"

बम्बई अपतटीय विस्तार—4 क्षेत्र के 500 वर्ग किलोमीटर के लिए भौगोलिक निर्देशांक

पाइंट	अक्षांतर			देशान्तर		
बी3	19°	35′	00″	72°	40′	00″
बी4	19°	35′	00″	72°	30′	00″
बी5	19°	20′	00″	72°	30′	00″
बी6	19°	20′	00″	72°	40′	00″

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिये अन्वेषण लाइसेंस,

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री .... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर ....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर

एम० मार्टिन

डेस्क अधिकारी

आदेश

विषय—आयल इंडिया लिमिटेड को उत्तर-पूर्वी तट के अपतटीय क्षेत्र के 6200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ० 12012/28/89 ओ० एन० जी० डी० 4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग 1959 के नियम 5 के उप-नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयल इंडिया, लि०, दुलियाजन, असम को (जिसे इसमें इसके बाद ओ० आई० एल० कहा गया है), उत्तर-पूर्वी तट के अपतटीय क्षेत्र के 6200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना के लिए एक पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए 10-11-1988 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो ओ० आई० एल० पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) राजस्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कंडेंसिंग हैड कन्डैन्सेट पर 192 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के मामले में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होंगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(घ) ओ० आई० एल० लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों के पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कंडेंसिंग हैड कन्डैन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार ओ० आई० एल० 49,600/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4/- रुपये
(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	40/- रुपये
(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	200/- रुपये
(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	400/- रुपये
(5) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीयवर्ष के लिए	600/- रुपये

(छ) ओ० आई० एल० को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप-नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।

(ज) ओ० आई० एल० केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषणों के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट, गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) ओ० आई० एल० समुद्र की तलहटी और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में ओ० आई० एल० केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) ओ० आई० एल० भूकम्पीय सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमीट्रिक और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ड) ओ० आई० एल० द्वारा उत्तर-पूर्वी उड़ीसा के अपतटीय अथवा अन्य क्षेत्रों में कोई तेल प्रतिष्ठान स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ढ) भूकम्पीय सर्वेक्षण के दौरान ओ० आई० एल० रक्षा मंत्रालय के प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, चांदीपुर द्वारा अधिगृहीत तथा अधिसूचित रेंज क्षेत्र से दूर रहने का प्रयत्न करेगा। इस क्षेत्र में कोई भी कार्य केवल कमाण्डेंट, पी० ई० ई० से प्रस्तावित कार्य के समय और तारीख के संबंध में विशेष मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

(ण) ओ० आई० एल० सदैव सर्वेक्षण जलपोतों, सर्वेक्षण के कार्य में लगे सभी व्यक्तियों की नागरिकता, सर्वेक्षण का संभावित क्षेत्र और समय से संबंधित सूचना रॉकेट एवं मिसाइल निदेशालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को कार्य आरंभ करने से काफी पहले देगा।

(त) ओ० आई० एल० यह सुनिश्चित करेगा कि इस क्षेत्र के सभी आंकड़ों का संसाधन और विश्लेषण भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में ही किया जाए।

(थ) ओ० आई० एल० बालासौर तटीय क्षेत्र में जलपोतों के आवागमन, विदेशी नागरिक के बारे में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करेगा ।

(द) बालासौर में वायु सेना रेंज हर वर्ष 1 सितम्बर से 31 मार्च तक गतिशील रहेगी । इस अवधि के दौरान सर्वेक्षणों को इस क्षेत्र में निष्क्रमण की अवधि तक के लिए प्रतिबंधित करना होगा । अत आयल इंडिया लि० को निष्क्रमण के दिनों का पता लगाने के लिए वायु सेना स्टेशन, कलाईकुण्डा तक संपर्क करना होगा । तथापि, हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक निष्क्रमण की अवधि के दौरान अपना कार्य करने के लिए आयल इंडिया लि० को पूरी छूट है । आयल इंडिया लि० द्वारा इस मामले में अंतिम प्रबन्धों के ब्यौरे की सूचना रक्षा मंत्रालय/वायु सेना मुख्यालय (मुख्यालय निदेशालय) को दी जाएगी ।

(ध) आयल इंडिया लि० को नौसेना मुख्यालय और डी० आर० डी० ओ० मुख्यालय के परामर्श से अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश हेतु संभावित ब्लाक तारीखों के लिए मंजूरी प्राप्त करनी होगी ।

(न) प्रूफ मी रेंज और आई० आई० रेंज में वास्तविक प्रवेश हेतु दिन-प्रतिदिन का कार्य करने के लिए मुख्य कार्यकारी रेंज चांदीपुर, बालासौर से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी ।

(प) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण शुरू करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

(फ) इस संबंध में आयल इंडिया लि० द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

अनुसूची "क"

उत्तर-पूर्वी तट के अपतटीय क्षेत्र के 6200 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक

पाइंट	अक्षांतर			देशांतर		
ए	21°	17′	00″	87°	11′	45″
बी	21°	22′	30″	87°	11′	45″
सी	21°	22′	30″	87°	17′	15″
डी	21°	17′	00″	87°	17′	15″
ई	20°	34′	15″	87°	05′	00″
एफ	20°	57′	10″	87°	49′	00′
जी	20°	52′	30″	88°	07′	25″
एच	20°	00′	00″	87°	32′	50″
आई	19°	59′	40″	87°	25′	15″

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल :

माह तथा वर्ष :

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख. केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मी० की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री .... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एम० मार्टिन
अनुभाग अधिकारी

औद्योगिक विकास विभाग

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली–110011, दिनांक 14–6–90

संकल्प

म० सी० एल० ई०/9(2)/90/640—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होरालोजी उद्योग (पहले कलाई घड़ियों की विकास नामिका से जाना जाता था) की विकास नामिका का निम्न प्रकार में गठन करके पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है :—

1. डा० एम० आर० नाहडु, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एच० एम० टी० लिमिटेड, 36, कनिंघम रोड, बंगलौर। — अध्यक्ष
2. श्री एस० के श्रीवास्तवा, उप सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली — सदस्य
3. श्री टी० आर० सहगल, उप निदेशक, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), निर्माण भवन, नई दिल्ली — सदस्य
4. श्री बी० के० भाटिया, उप सलाहकार (इंजी०), आई० एंड एम प्रभाग, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली। — सदस्य
5. निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली — सदस्य
6. श्री आर० पी० अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, हैदराबाद अलविन लिमिटेड, सनथ नगर, हैदराबाद — सदस्य
7. श्री एक्स देसाई, प्रबन्ध निदेशक, टाइटन वाचिज लि०, सोना टावर, 71 मिलर रोड, बंगलौर — सदस्य
8. श्री समीर शाहा, प्रबन्ध निदेशक, इन्डो फ्रैंच टाइम्स इन्ड० लि०, 12– उद्योग नगर, एस० वी० रोड, गोरे गांव (प०), बम्बई — सदस्य
9. श्री जी० एस० पूरेवाल, प्रबन्ध निदेशक, पूरेवाल एण्ड ऐसोशिऐटस लि०, के० 20 जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली। — सदस्य
10. श्री भारत सी पटाडिया, कोपवड ओरियन्ट वाचिज लि०, 5/3 चन्दन महल, रोड नं० 11, टी० पी० एस०–III, सन्टाक्रूज (पूर्वी) बम्बई–55 — सदस्य
11. श्री के० सी० जैन, प्रबन्ध निदेशक, जैना टाइम्स इन्ड० लि०, 7/25 दरियागंज, नई दिल्ली–110002 — सदस्य
12. श्री अशोक खन्ना, प्रबन्ध निदेशक, खन्ना वाचिज, प्लाट नं० 1, सैक्टर III, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, परवाणू (जिला सोलन), हिमाचल प्रदेश। — सदस्य
13. श्री वाई० साबू, प्रबन्ध निदेशक, कमला डायल्स एण्ड डिवाइसिस लिमिटेड, प्लाट नं० 3, सैक्टर–III, परवाणू–173220, हिमाचल प्रदेश — सदस्य
14. श्री प्रेम गुप्ता, अध्यक्ष, इन्डो स्विस टाइम लिमिटेड, ए–23 न्यू आफिस काम्पलक्स, डिफेन्स कालोनी (मूलचन्द अस्पताल के सामने), नई दिल्ली। — सदस्य
15. श्री ए० एम० प्रकाश, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एण्ड वाच जैवल्स मन्युफैक्चरिंग ऐसोसियेशन, 32 रंजी भाई कमानी, मार्ग, बम्बई–38 — सदस्य
16. श्री पी० एस० मकंद, महाप्रबन्धक (मार्किटिंग), सेमी कन्डक्टर काम्पलैक्स लि० फेज–4, एस० एस० एस० नगर (चण्डीगढ़ के निकट), पंजाब। — सदस्य
17. श्री जवाहर कम्धारी, प्रबन्ध निदेशक, मै० विफोरा वाच कं० लि०, सं० 29, सातवां क्रास, बसन्त नगर, बंगलौर — सदस्य
18. राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय — सदस्य
19. औद्योगिक सलाहकार, सी० एल० ई०, तकनीकी विकास महानिदेशक, उद्योग भवन, नई दिल्ली। — सदस्य
20. विकास अधिकारी, सी० एल० ई०, तकनीकी विकास महानिदेशक, उद्योग भवन, नई दिल्ली। — सदस्य-सचिव

नामिका के विचारणी विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. उद्योग के उत्पादन में गुणवत्तावार और मात्रावार दोनों में वृद्धि के लिए विकास करना और उत्पादन लक्ष्य के लिए सिफारिश करना।
2. चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुसार घड़ी के कम्पोनेन्ट्स को आयात करने के लिये उपायों का सुझाव देना।
3. विभिन्न सीमा शुल्क रियायतों का पुनर्वलोकन करना

4. सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों, युक्तिकरण की संभाव्यताओं, आधुनिकीकरण विविधता और विद्यमान क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखकर, उद्योग के विकास के लिए निति बनाने की सिफारिश करना।

5. प्रौद्योगिकी गुणवत्ता और उत्पादकता को ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देना

6. निर्यात बढ़ाने के लिए सुझाव देना।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को संचालित की जाए। यह भी आदेश दिये जाते हैं कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन, निदेशक (प्रशासन)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1990

सं० ई० 11017/11/88-रा० भा० का०—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के विषय में इस मंत्रालय के 20 फरवरी, 1989 के संकल्प संख्या ई० 11017/11/88-रा० भा० का० में क्रम सं० 3 और 4 पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं :—

3. श्री चित्त बसु, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

4. प्रो० डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्यालय मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनीता मुखर्जी, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मई, 1990

एफ० सं० 1-19/89 त० 13तवी—शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, भोपाल स्थित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय पालिटेक्नीक, भोपाल के छात्रों को केन्द्रीय सरकार के अधीन अधीनस्थ पदों और सेवाओं में रोजगार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त वीडियोग्राफी में प्रदान किये गये तीन वर्षीय डिप्लोमा को जो वर्ष 1987 से प्रभावी होगा, सहर्ष मान्यता प्रदान किया है।

एम० एम० चौधरी

सहायक शिक्षा सलाहकार (त०)

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून, 1990

संकल्प

सं० ई-11016-12/88-हिन्दी—इस विभाग के दिनांक 7 अगस्त, 1989 के समसंख्यक संकल्प में और संशोधन करते हुए भारत सरकार ने इस विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव सदस्य लोक सभा	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित
2. श्री दलीप सिंह भूरिया सदस्य लोक सभा	
3 डा० आर० के० पोद्दार सदस्य राज्य सभा	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा श्री सुनील कुमार पटनायक, सदस्य राज्य सभा के स्थान पर नामित किया गया है।
4. श्री चित्त बसु सदस्य लोक सभा	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों एवं कोयला विभाग के सभी कार्यालयों, जिनमें अधीनस्थ कार्यालय-संगठन तथा कंपनियां भी शामिल हैं, को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्रीमती शालिनी शर्मा, निदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1990

संकल्प

सं० 103/29/87-ए (आई)—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समय समय पर यथा संशोधित (1) 21 जनवरी, 1985 के संकल्प संख्या 309-3 84-टी० वी० तथा (2) 26 मई 1988 के संकल्प सं० 309/3-84-टी० वी० के साथ पढ़ें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 12 सितम्बर, 1989 के संकल्प सं० 103-29-87-एफ (आई) में आगे संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि दूरदर्शन के बाहर वीडियो साफ्टवेयर निर्माण सुविधायें स्थापित करने हेतु आवेदनों पर विचार करने तथा फिल्मों का वीडियो के लिए हस्तांतरण तथा पूर्व रिकार्ड किए गए कैसिटों आदि की अनुलिपि/निर्माण के लिए एक सामूहिक अन्तरविभागीय समिति का गठन किया गया है तथा इस समिति में वित्त मंत्रालय के आर्थिक व्यय विभाग के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी एक प्रति सभी संबंधितों को (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत सरकार के मंत्रालय विभाग) भेजी जाए।

र० च० सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE)

New Delhi, the 14th June 1990

RESOLUTION

No. 41/5/89-P&PW(C).—The President is pleased to extend the term of office prescribed for the non-official members of the Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) for the Department of Pension and Pensioners' Welfare constituted under Resolution No. 41/5/89-P&PW (C) dated 31-3-1989 upto 31-3-1991.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administrations of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned.

S. K. PARTHASARTHY, Addl. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 12th June 1990

RESOLUTION

No. 6/4/90-EPZ.—The Government of India have decided to set up an Advisory Committee with a view to speed up the development and growth of Falta Export Processing Zone :

2. *Constitution*

The Advisory Committee will consist of :—

Chairman

1. Shri Amal Dutta, Member of Parliament

Members

2. Smt. Malini Bhattacharya, Member of Parliament
3. Secretary (Industries), Government of West Bengal
4. Shri P. D. Chitlangia, Bangal Chamber of Commerce & Industry
5. Chairman, Calcutta, Port Trust
6. A representative of the Industries Association of the Falta EPZ.
7. Joint Secretary, Ministry of Commerce

Member-Secretary

8. Development Commissioner, Falta Export Processing Zone

3. *Functions*

The function of the Advisory Committee will be to advise the Government in regard to speeding up the growth and development of the Falta Export Processing ZZone.

4. *Tenure*

The term of the Committee will be upto 31st March, 1991 provided that,

(i) A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Advisory Committee as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament;

(ii) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a Member for the residue of the term.

5. *General*

The Committee may co-opt additional members and invite exports to attend its meeting or appoint sub-Committees as may be deemed necessary.

6. *Travelling and other Allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee by the office of the Development Commisioner, Falta Export Processing Zone at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and Government of West Bengal.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. F. 6/4/90-EPZ.—The Government of India have decided to set up an Advisory Committee with a view to advise the Government in regard to growth and development of the newly set up Visakhapatnam Export Processing Zone.

2. *Constitution*

The Advisory Committee will consist of :—

Chairman

1. Shri K. Ramamohan Rao, Member of Parliament

Members

2. Smt. Uma Gajapathi Raju, Member of Parliament
3. Joint Secretary, Ministry of Commerce
4. Secretary Industries, Government of Andhra Pradesh
5. A representative of the Visakhapatnam Port Trust
6. A representative of A.P. Chamber of Commerce & Industry.

Member-Secretary

7. Development Commissioner, Visakhapatnam Export Processing Zone.

3. *Functions*

The function of the Advisory Committee will be to advise the Government in regard to growth and development of the Visakhapatnam Export Processing Zone.

4. *Tenure*

The term of the Committee will be upto 31st March, 1991 provided that,

(i) A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Advisory

Committee as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament;

(ii) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a Member for the residue of the term.

5. *General*

The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meeting or appoint sub-Committees as may be deemed necessary.

6. *Travelling and other Alowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee by the Office of the Development Commissioner, Visakhapatnam Export Processing Zone at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and Government of Andhra Pradesh.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAVINDRA SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(DEPTT. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

New Delhi, the 13th June 1990

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Bombay Offshore Extension IV area measuring 500 sq. kms.

No. O-12012/90/89-ONG D.4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 11th December, 1989, for Bombay Offshore Extension IV area measuring 500 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of license is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Department of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

(i) Rs. 8/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 600/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months' notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of Bombay offshore (Extension-IV) area measuring 500 sq. kms.

Point	Latitude	Longitude
(1)	(2)	(3)
B_3 . . .	19° 35′ 00″	72° 40′ 00″
B_4 . . .	19° 35′ 00″	72° 30′ 00″
B_5 . . .	19° 20′ 00″	72° 30′ 00″
B_6 . . .	10° 20′ 00″	72° 40′ 00″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year :

A—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of metric tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head Condensate

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of metric tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total No. of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

By order and in the name of the President of India.

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil India Limited (OIL) for North East Coast Offshore area measuring 6200 sq. kms.

No. O-12012/28/89-ONG D.4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil India Limited, Duliajan (Assam) (hereinafter referred to as OIL), a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 10-11-1988 for North East Coast off-shore area measuring 6200 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the OIL should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Deptt. of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The OIL shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The OIL shall deposit a sum of Rs. 49,600/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The OIL shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;
(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
(v) Rs. 600/- for the first and second years of renewal.

(g) The OIL shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months' notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The OIL shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The OIL shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such commission to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The OIL shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The OIL shall consider/submit Bathymetric and Magnetic data collected during the Seismic survey to the Ministry of Defence/Naval Headquarters in the usual manner.

(m) No oil installation will be set up by OIL in offshore or other areas of North East Orissa.

(n) During the Seismic Surveys, OIL shall try to keep away from the acquired and notified Range areas (in the sea) of Proof & Experimental Establishment, Chandipore, of Ministry of Defence. Any work within this area will be undertaken only after obtaining specific clearance from Commandant PEE regarding time and dates of the proposed work.

(o) OIL shall always forward to Dte. of Rockets & Missiles, Department of Defence Research & Development, the information regarding survey vessels, nationality of all the persons involved in the survey and likely area and time of survey, well in advance of commencement of operation.

(p) OIL shall ensure that all the data for this area is processed and analysed within the country by Indian Nationals.

(q) OIL shall fully observe the security guidelines, regarding movement of vessels/foreign nationals in Balasore coastal area, to be laid down by Ministry of Defence.

(r) Air Force Range at Balasore will be active from 1st Sept. to 31st March every year. The Survey during this period would have to be restricted to period of non-activity at this range. OIL should, therefore get in touch with Air Force Station Kalaikunda to find out the non-activity days. However, the OIL is welcome to carry out their work during the non-activity period from 1st April to 31st August every year. Details of finalised arrangement in the matter shall be communicated by OIL to Ministry of Defence/Air HQrs. (Dte. of Intelligence).

(s) OIL should obtain clearance for probable block dates for entry in the notified area in consultation with Naval HQrs. and DRDO Headquarters.

(t) For actual entry into Proof Sea Range and IIR Range, Security clearance for day-to-day work should be obtained from Chief Executive Range, Chandipore, Balasore.

(u) Foreign vessels if developed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessels in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection Team.

(v) A complete set of oceanographic data collected by the OIL in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE "A"

Geographical coordinates of North East Coast offshore area measuring 6200 sq. kms.

Points	Latitude	Longitude
(1)	(2)	(3)
A	21° 17′ 00″	87° 11′ 45″
B	21° 22′ 30″	87° 11′ 45″
C	21° 22′ 30″	87° 17′ 15″
D	21° 17′ 00″	87° 17′ 15″
E	20° 39′ 15″	87° 05′ 00″
F	20° 57′ 10″	87° 49′ 00″
G	20° 52′ 30″	88° 07′ 25″
H	20° 00′ 00″	87° 32′ 50″
I	19° 59′ 40″	87° 25′ 15″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, Casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year :

A—Crude Oil

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head Condensate

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total No. of cubic metres obtained	No. of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	No. of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

M. MARTIN, Desk Officer

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi-110011, the 1st June 1990

RESOLUTION

No. CLE/9(2)/90.—Government of India have decided to reconstitute a Development Panel for Horology Industry (earlier known as Development Panel for Wrist Watches) with the following composition for a period of 2 years from the date of issue of the Resolution :

Chairman

1. Dr. M. R. Naidu
Chairman & Managing Director,
HMT Limited,
36, Cunningham Road,
Bangalore.

Members

2. Shri S. K. Srivastava,
Deputy Secretary,
Department of Ind. Development
Udyog Bhavan,
New Delhi.

3. Shri T. R. Sehgal,
Dy. Director,
DC (SSI),
Nirman Bhavan,
New Delhi.

4. Shri V. K. Bhatia,
Deputy Adviser (Engg.),
I & M Divn.,
Planning Commission,
Yojna Bhavan,
New Delhi.

5. Director,
Bureau of Indian Standard,
Manak Bhavan,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

6 Shri R. P. Aggarwal,
Managing Director,
Hyderabad Allwyn Ltd ,
Sanath Nagar,
Hyderabad.

7. Shri Xerxes Desai,
Managing Director,
Titan Watches Ltd.,
Sona Tower,
71, Miller Road,
Banagalore.

8. Shri Sameer Shah,
Managing Director,
Indo French Times Ind. Ltd ,
12-Udyog Nagar,
S. V. Road.
Goregaon (W),
Bombay.

9. Shri G. S. Purewal,
Managing Director,
Purewal & Associates Ltd.,
K-20, Jangpura Extension,
New Delhi.

10 Shri Bharat C. Patadia,
Copwud Orient Watches Ltd.,
5/3, Chandan Mahel.
Road No. 11. TPS III,
Santakruz (E),
Bombay-55.

11. Shri K. C. Jain,
Managing Director,
Jayna Times Inds. Ltd.,
7/25, Daryaganj,
New Delhi-110 002.

12. Shri Ashok Khanna,
Managing Director,
Khanna Watches,
Plot No. 2, Sector III,
Industrial Estate,
Parwanoo (Distt. Solan),
Himachal Pradesh.

13. Shri Y. Saboo,
Managing Director,
Kamala Dials and Devices Limited,
Plot No. 3, Sector III,
Parwanoo-173220,
Himachal Pradesh.

14. Shri Prem Gupta,
Chairman,
Indo Swiss Time Ltd.,
A/23, New Office Complex,
Defence Colony,
(Opp. Mool Chand Hospital),
New Delhi.

15. Shri A. M. Parkash,
President,
Industrial & Watch Jewels
Manufacturing Association,
32-Ranjibhai Kamani Marg,
Bombay-38.

16. Shri P. S. Mankad,
General Manager (Mktg.),
Semi Conductor Complex Ltd.,
Phase-VIII, SAS Nagar,
(Near Chandigarh),
Punjab.

17. Shri Jawahar Kandhari,
Managing Director,
M/s. Bifora Watch Co., Ltd.,
No. 29, 7th Cross,
Vasanthnagar,
Bangalore.

18. Representative of Deptt. of Revenue,
Ministry of Finance,

19 Industrial Adviser, CLE,
D. G. T. D., Udyog Bhavan,
New Delhi.

Member-Secretary

20. Development Officer, CLE,
D. G. T. D. Udyog Bhavan,
New Delhi.

Terms of reference of the panel would be as under :—

1. To promote the growth of the industry both qualitatively and quantitatively and recommend growth targets.

2. To suggest measures for regulating the import of watch components as per phased manufacturing programme.

3. To review the various duty concessions.

4. To make recommendations on the policy framework for the development of industry keeping in view the socio-economic objectives, possibilities of rationalisation, modernisation, diversification and expansion of existing capacity.

5. To suggest measure for upgrading of technology, quality and productivity.

6. To suggest measures for export promotion.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Administration)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th June 1990

RESOLUTION

No. E. 11017/11/88-OLI.—In this Ministry's Resolution No. E. 11017/11/88-OLI dated the 20-2-1989 regarding re-constitution of Hindi Advisory Committee for the Ministry of Health and Family Welfare at serial No. 3 and 4, the following entries may be inserted :—

3. Shri Chitta Basu, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
4. Prof. (Dr.) Shailendra Nath Shrivastava, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNEETA MUKHERJEE, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 4th May 1990

No. 25[F.No. 1-19/89/T.13/TD.V.).]—On the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the three years Diploma in Applied Videography awarded by the State Board of Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal to the students of Sardar Vallabh Bhai Patel Government Polytechnic, Bhopal, for the purposes of employment to subordinate posts and services under the Central Government, effective from 1987.

M. M. CHOUDHURY, Asstt. Educational Adviser (T)

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 8th June 1990

RESOLUTION

No. E-11016/12/88-Hindi.—In further modification of this Department's Resolution of even number dated 7th August, 1989, the Govt. of India hereby nominate the following persons as non-official members of the Hindi Salahakar Samiti of the Department of Coal :—

1. Shri Devendra Prasad Yadav—Member, Lok Sabha
2. Shri Dileep Singh Bhuria—Member, Lok Sabha
   Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs
3. Dr. R. K. Poddar, Member—Rajya Sabha
   Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs in place of Shri Sunil Kumar Patnaik, Member, Rajya Sabha.
4. Shri Chitta Basu—Member, Lok Sabha
   Nominated by Committee on Official Language

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Deptt. of the Govt. of India and all offices of the Deptt. of Coal and its subordinate offices/organisations and companies.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Smt. SHALINI SHARMA, Director

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 15th May 1990

RESOLUTION

No. 103/29/87-F(I).—In partial modification of the Ministry of I&B's Resolution No. 103/29/87-F(I) dated the 12th September 1989 read with Ministry of I&B's Resolutions No. (1) 309/3/84-TV dated the 21st January, 1985 as amended from time to time and (2) 103/29/87-F(I) dated 26th May, 1988, it has been decided that the common Inter-departmental Committee constituted to consider the applications for setting up of video software generation facilities outside Doordarshan and transfer of films to video and duplication/production of pre-recorded video cassettes etc., will not include a representative of the Deptt. of Economic Affairs in the Ministry of Finance.

ORDER

ORDERED that this be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of this be communicated to all concerned (State/Union Territories/Ministries and Departments of the Government of India).

R. C. SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990